पत्रांक 497/ 14–1 दिनांक, मुजफ्फरनगर 16/8/ 2018 ।

सेवा में,

वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक
सहारनपुर वृत्त, सहारनपुर।

विषयः– जनपद मुजफ्फरनगर में उ0प्र0 पॉवर ट्रान्समिशन कार्पो0 लि0 मुजफ्फरनगर द्वारा 132 के0वी0 मुजफ्फरनगर –जानसठ लीलो भोपा (भौकरहेडी)लाईन के निर्माण हेतु 0.1944 है0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 12 वृक्षो के पातन की अनुमति।

संदर्भः– प्रस्ताव संख्या– FP/UP/Trans./26409/2017 एवं पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य–क्षेत्र) लखनऊ का पत्रांक–8 बी/यू0पी0/04/56/2018/FC/202 दिनांक 20.06.2018 एवं मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ0प्र0 लखनऊ का पृष्ठांकन संख्या–5387/मु0नगर /26409/2017 दिनांक 27.06.2018।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र दिनांक 20.06.2018 का अवलोकन करने की कृपा करे। उक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा विषयांकित प्रस्ताव के सम्बन्ध मे लगाई गयी अपात्तियो का निराकरण निम्नानुसार प्रेषित है।

S.No	Observation raised by M.O.E.F	Compliances
1	प्रस्तावित वन क्षेत्र ईको सोन्सिटिव क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। अतः इस बाबत मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक की सन्सतुति/सहमति प्रस्तुत करे।	पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली के पंत्राक–F.No-8-64/2013-FC dt 20-08-2014 एव No-01-20/2014/WL dt 26-09-2014(छाया प्रति संलग्न) के प्राविधानो के अनुसार प्रकरण मे वन्य जीव बोर्ड की अनापत्ति की आवश्यकता नही है। जनपद मुजफ्फरनगर के अन्तर्गत हस्तिनापुर वन्य जीव विहार का प्रबन्धन प्रभागीय निदेशक/उप मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक,सामाजिक वानिकी प्रभाग मुजफ्फरनगर द्वारा किया जाता है। उल्लेखनीय है कि उ0प्र0 सरकार, वन अनुभाग–4 की पत्र संख्या–26851/14–4–93 दिनांक 18.10.1993 (छाया प्रति संलग्न) द्वारा प्रभागीय वनाधिकारियो एंव प्रभागीय निदेशको को अपनी–अपनी क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर उप मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक नियुक्त किया गया है।
2	S.O.I टोपोशीट की मूल प्रति	S.O.I टोपोशीट की मूल प्रति पूर्व मे ही प्रस्ताव के पृष्ठ स0–51व52(संलग्नक स0–29व30) पर संलग्न कर प्रेषित की जा चुकी है
3	F.R.A. Certificate के अन्तर्गत Primitive Tribal Group एंव Pre Agricutural Communities के सम्बन्ध मे किसी प्रकार का उल्लेख नही किया गया है।	F.R.A. Certificate के अन्तर्गत Primitive Tribal Group एंव Pre Agricutural Communities के सम्बन्ध मे उल्लेख करते हुए संशोधित F.R.A. Certificate की एक मूल प्रति एंव चार प्रमाणित छायाप्रतिया संलग्न कर प्रेषित है।

अतः सन्दर्भित पत्र द्वारा लगाई गई आपत्तियो का निराकरण उपरोक्तानुसार कर आपकी सेवा मे इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि आपत्तियो का निराकरण एंव सम्बन्धित अभिलेख मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ0प्र0 लखनऊ को प्रेषित करने की कृपा करे।

संलग्नक– उपरोक्तानुसार

भवदीय
16/8/18
(सूरज)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग,मुजफ्फरनगर

संख्या / दिनांकित।

प्रतिलिपि– अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पॉवर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0 मुजफ्फरनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(सूरज)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग,मुजफ्फरनगर